निगरानी/833/2005/टीए/करौली
कलुआ वगैरा बनाम भरोसी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ल0 8

निर्णय **दिनांकः 7अगस्त, 2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर की अपील संख्या 27/2002 बउनवानी कलुआ बनाम भरोसी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18–09–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सायल/अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल नम्बर 228 रकबा 17 ऐयर वाके कमालपुरा सायल के कब्जे काश्त खातेदारी का है। भू–प्रबन्ध में इसे गलत प्रकार से गैर सायलान के नाम दर्ज कर दिया है। साबिक ख0 नं0 204 व 205 सायलान ने जरिये रजिस्टर्ड सैलडीड क्रय किया है और ख0 नं0 228 साबिक नं0 204 व 205 से बना है। साबिक नम्बर 205 से हाल नं0 232, 233, 234, 235 कुल रकबा 69 ऐयर कायम किये हैं जबकि सायलान के नाम 87 ऐयर रकबा होना चाहिए। सायल का 18 ऐयर रकबा गैर सायलान की खातेदारी में दर्ज कर दिया है। भू–प्रबन्ध विभाग ने गत नक्शा ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस तैयार नहीं किया है। अतः वादपत्र के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की मौके व रेकार्ड की यथास्थति कायम रखी जावें। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 27–3–2002 को सायलान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जिस निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में की गई जिसमें परीक्षण न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर दिनांक 18–9–2003 को वादीगण/अपीलांट की अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27–3–2002 को यथावत रखा गया जिस निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18–9–2003 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3– निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। 4– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने हाल राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम खातेदार में दर्ज होना मानते हुए निर्णय पारित किया हे जबकि पूर्व राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व उनके पूर्वज इस भूमि के खातेदार रहे हैं। हाल बन्दोबस्त के दौरान अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हो जाने मात्र से उनको खातेदार नहीं माना जा सकता। जब प्रार्थीगण ने हाल राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खातेदार अप्रार्थीगण को मानकर उसको चुनोती दी है तो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थीगण द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने में पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद को सही निस्तारण करने में असफलता दिखाई है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य लेकर आये कि भू–प्रबन्ध विभाग ने गत ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस तैयार नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्धारा किसी भी प्रकार का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। इसके उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय द्धारा अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम मानते हुए अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण पाबन्द कराने के अधिकारी मानते हुए आदेश पारित कर अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। एक प्रकार से उन्होंने मूल वाद का ही निस्तारण कर दिया है। आगे कथन किया कि भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व इन्द्राजों को बदलने का अधिकार नहीं था केवल मात्र उन्हें पूर्व इन्द्राजों को ही रिपीट करना चाहिए था। दोनों तहत न्यायालयों ने प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर खारिज किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के निगरानीधीन निर्णय विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ पारित किये है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें। 5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/गैर निगराकार का तर्क है कि भू–प्रबन्ध के द्धारा सही इन्द्राज किये गये हैं। हाल ख0 नं0 228	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साबिक नं0 2/2 रकबा 13 बिस्वा से बना है और साबिक नं0 222 भी अप्रार्थीगण की खातेदारी का है और इसी से हाल नं0 228 बना है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में सही दर्ज किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्धारा विधि सम्मत एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किये गये हैं। इसलिए निगरानी खारिज की जावें। 6– उभयपक्षकारान के विद्धान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। 7– विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–3–2002 में अंकित किया है कि प्रस्तुत रेकार्ड के आधार पर सायलान का केस प्राईमाफैसी प्रतीत नहीं होता है और ना ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में नजर आता है। गैर सायालान विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है और आराजी ख0 नं0 228 उनकी खातेदारी की भूमि है जो साबिक ख0 नं0 2/2 से कायम की गई है। सायलान का इसमें किसी प्रकार का संबंध प्रतीत नहीं होता है। गैरसायलान द्धारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अनुसार अपनी खातेदारी की भूमि ख0 नं0 228 में रूकावट नहीं डालने हेतु सायलान को पाबन्द कराने के अधिकारी प्रतीत होते हैं। सायलान का केस प्राईमाफेसी साबित नहीं होने के कारण व सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। सायलान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। 8– परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–9–2003 में अंकित किया है कि विवादित आराजी गैर सायल/रेस्पो0 की कब्जे काश्त खातेदारी की है। सायल द्धारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि भू–प्रबन्ध द्धारा गत के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस तैयार नहीं किया गया है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर सायल/रेस्पो0 के पक्ष में प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गयी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। 9– प्रश्नगत निगरानी में दस्तावेजों के अवलोकन से विदित होता है कि हाल ख0 नं0 228 रकबा 17 ऐयर साबिक ख0 नं0 2/2 रकबा 13 बिस्वा से बना है जो जमाबन्दी सम्वत् 2055–2058 में अप्रार्थीगण भरोसी, लटटू आदि के नाम दर्ज है। इससे पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2041 में साबिक खसरा नम्बरान 2/2 गैर सायल रेस्पो0 के पिता कन्हैया पुत्र श्योपुरी कौम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जोगी के नाम दर्ज थी जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी गैर सायलान रेस्पो0 के कब्जे काश्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण ने निगरानी के बिन्दु सं0 3 में अंकित किया है कि पूर्व राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व उनके पूर्वज इस भूमि के खातेदार रहे हैं। हाल बन्दोबस्त के दौरान अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हो जाने मात्र से उनको खातेदार नहीं माना जा सकता लेकिन भूमि पूर्वजों के नाम होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए दोनों न्यायालयों के निर्णय विधि सम्मत है। 10- अतः निगरानी खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 18-9-2003 एवं उप जिला कलक्टर, हिन्डोन के निर्णय दिनांक 27-3-2002 यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	